[2021] 3 उम. नि. प. 393

गुमनसिंह उर्फ लालो उर्फ राजू भीखाभाई चौहान और एक अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 940-941]

3 सितंबर, 2021

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और धारा 498क, स्पष्टीकरण (ख) [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – अभियुक्तों (मृतका के पति और सास) द्वारा मृतका को अपने पिता से धन लेकर आने की मांग किया जाना और मांग पूरी न होने पर उसके साथ क्रूरता और उसे तंग किया जाना – मृतका द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर विष का सेवन करके आत्महत्या किया जाना – उपधारणा – दोषसिद्धि – जहां साक्षियों के विश्वसनीय और भरोसेमंद परिसाक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया गया हो कि विवाहित स्त्री के ससुराल वालों द्वारा उसे अपने माता-पिता से धन लेकर आने की सतत रूप से मांग की गई और मांग पूरी न होने के कारण उसके साथ क्रूरता की गई और उसे तंग किया गया तथा उसे मजबूर होकर विष का सेवन करके आत्महत्या करनी पड़ी, वहां आत्महत्या के दुष्प्रेरण और क्रूरता के लिए की गई अभियुक्तों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा ।

इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सं. 1 का विवाह तारीख 27 अप्रैल, 1997 को ताहिरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मृतका' कहा गया है) के साथ अनुष्ठापित हुआ था और विवाह के पश्चात् मृतका दोनों अपीलार्थियों के साथ रह रही थी । अपीलार्थी सं. 1 लगातार मृतका को अपने पिता (अभि. सा. 1) से भैसें खरीदने के लिए 25,000/- रुपए लाने के लिए कह रहा था, चूंकि वह दूध का कारबार करने का इच्छुक था । अभि. सा. 1 कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण

अपीलार्थी सं. 1 की इस मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं था इसलिए अपीलार्थी सं. 1 प्रायिक तौर पर मृतका की पिटाई करने लगा, जबकि अपीलार्थी सं. 2, उसकी सास, इस बहाने उसके साथ झगड़ा करती रहती थी कि वह न तो यह जानती है कि खाना कैसे बनाया जाता है और न ही कोई घरेलू कार्य ठीक प्रकार से करती है । मृतका ने आठ माह की अल्प अवधि में अपने दांपत्य गृह में विष खाकर आत्महत्या कर ली जिसका एकमात्र कारण यह था कि वह अपीलार्थियों द्वारा उसके साथ लगातार की जा रही मानसिक और शारीरिक क्रूरता को सहन करने में असमर्थ थी । मृतका के पिता ने पुलिस थाने में एक शिकायत फाइल की जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थियों ने मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की थी जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इससे व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की और मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा धन की कोई मांग नहीं की गई थी क्योंकि वह दूध का कारबार आरंभ करने के लिए भैसें खरीदने हेतु केवल ऋण देने के लिए कह रहा था । यह भी दलील दी गई कि मृतका का चिकित्सीय उपचार चल रहा था क्योंकि वह किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त थी । यह उल्लेख किया गया कि साक्षियों के रूप में केवल नातेदारों की परीक्षा की गई थी । यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे और इसलिए अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है । तथापि, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि 25,000/- रुपए की मांग पूर्ण न होने के कारण अपीलार्थियों द्वारा मृतका के साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई थी और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई । अभियुक्तों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि

और दंडादेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1, 2, 3 और 4 यद्यपि वे मृतका के नातेदार हैं, तो भी स्वाभाविक साक्षी हैं । परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की साक्षियों के रूप में परीक्षा करने में कोई वर्जन न होने के कारण उनके साक्ष्य इस आधार पर त्यक्त किए जाने योग्य नहीं हैं । पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यह साक्ष्य किसी तात्विक विरोधाभास से रहित और विश्वासोत्पादक है । निचले न्यायालयों ने भी उनके साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व उचित रूप से संवीक्षा की थी और उनके परिसाक्ष्यों पर विश्वास करने में कुछ भी अप्रायिक बात नहीं है । इस प्रकार, अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि मृतका को 25,000/- रुपए की विधिविरुद्ध मांग पूरा करने के लिए उसे प्रपीड़ित करने की दृष्टि से तंग किया गया था और उसे उसके द्वारा अपने पिता (अभि. सा. 1) से उक्त रकम लाने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया गया था, जो ऐसी मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से असमर्थ था । इस न्यायालय का पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण (ख) के अधीन क्रूरता के आरोप को साबित करने में सफल रहा है । कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या मृत्यु की अभिपुष्टि अभि. सा. 2, डा. आनंद के साक्ष्य द्वारा होती है, जो डाक्टरों के पैनल सदस्यों में से एक था जिसने मृतका की मरणोत्तर परीक्षा की थी । स्वीकृततः, प्रस्तुत मामले में, साक्ष्य से मृतका के साथ की गई क्रूरता या उसे तंग करने का अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है और इस प्रकार उपधारणा करने के लिए आधार विद्यमान है । स्वीकृततः, अपीलार्थियों ने इस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निचले न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करके कोई अवैधता कारित नहीं की थी कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने मृतका को आत्महत्या करने के

लिए दुष्प्रेरित किया था । मामले पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 498क के अधीन क्रूरता के आरोप को सिद्ध करने में सफल रहा था, जिससे यह एक युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतका ने कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या कर ली थी । मृतका अपीलार्थियों की अभिरक्षा में थी और उसकी मृत्यु दांपत्य गृह की चारदीवारी के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी । (पैरा 24, 25, 26, 37 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) 14 एस. सी. सी. 264 : **गुरजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	42
[2016]	(2016) 12 एस. सी. सी. 759 **सतीश शेट्टी** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	40
[2014]	(2014) 11 एस. सी. सी. 516 : **रमेश विट्ठल पाटिल** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य** ;	39
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 529 : **मृणांदु और एक अन्य** बनाम **पुलिस निरीक्षक की मार्फत तमिलनाडु राज्य** ;	23
[2001]	(2001) 9 एस. सी. सी. 618 : **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ।	31, 34

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 940-941.

2000 की दांडिक अपील सं. 833 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के तारीख 28 दिसंबर, 2018/08 फरवरी, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री मुहम्मद ताहिर एम. हाकिम, इजाज अब्दुल, वारिश ए. मंसूरी, (सुश्री)

आकृति चौबे और मुहम्मद ईसा एम. हाकिम

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री दीपांविता प्रियंका और श्री अनिरुद्ध पी. मेयी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने दिया ।

न्या. मुरारी – इजाजत दी गई ।

2. ये अपीलें 2000 की पुनरीक्षण/दांडिक अपील सं. 833 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उच्च न्यायालय' कहा गया है) के तारीख 28 दिसंबर, 2018 के अंतिम निर्णय और आदेश जिसमें तारीख 8 फरवरी, 2019 के आदेश द्वारा सुधार किया गया और अपीलार्थियों द्वारा अपने विरुद्ध दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देते हुए फाइल किए गए 2019 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन (समय का विस्तार करने के लिए) सं. 1 में तारीख 7 मार्च, 2019 के अंतिम आदेश और निर्णय से उद्भूत हुई हैं ।

3. उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा 1998 के सेशन मामला सं. 92 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, वडोदरा द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 306 और 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए तारीख 27 जुलाई, 2000 को पारित किए गए निर्णय को इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील को खारिज कर दिया था ।

4. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी सं. 1 का विवाह तारीख 27 अप्रैल, 1997 को ताहिरा (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मृतका' कहा गया है) के साथ अनुष्ठापित हुआ था और विवाह के पश्चात् मृतका दोनों अपीलार्थियों के साथ रह रही थी । अपीलार्थी सं. 1 लगातार मृतका को अपने पिता (अभि. सा. 1) से भैंसें खरीदने के लिए 25,000/- रुपए लाने के लिए कह रहा था, चूंकि वह दूध का कारबार करने का इच्छुक था । अभि. सा. 1 कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण अपीलार्थी सं. 1 की इस मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं था इसलिए अपीलार्थी सं. 1 प्रायिक तौर पर मृतका की पिटाई करने लगा, जबकि

अपीलार्थी सं. 2, उसकी सास, इस बहाने उसके साथ झगड़ा करती रहती थी कि वह न तो यह जानती है कि खाना कैसे बनाया जाता है और न ही कोई घरेलू कार्य ठीक प्रकार से करती है । मृतका ने आठ माह की अल्प अवधि में तारीख 14 दिसंबर, 1997 को 5.00-5.30 बजे अपराह्न में अपने दांपत्य गृह में विष खाकर आत्महत्या कर ली जिसका एकमात्र कारण यह था कि वह अपीलार्थियों द्वारा उसके साथ लगातार की जा रही मानसिक और शारीरिक क्रूरता को सहन करने में असमर्थ थी ।

5. अभि. सा. 1, मृतका के पिता ने पाडरा पुलिस थाने में एक शिकायत फाइल की जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 1997 की आईसीआर सं. 34 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पाडरा के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया और उन्होंने मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । इस मामले को 1998 के सेशन मामला सं. 92 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया और विचारण के लिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश को हस्तांतरित किया गया । अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए सात साक्षियों की परीक्षा की और अपीलार्थियों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उनके कथन अभिलिखित करते समय उनके समक्ष अपराध में आलिप्त करने वाला समस्त साक्ष्य रखा गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का पूरी तरह से खंडन किया ।

7. विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थियों ने मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की थी जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया तथा उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का

दंडादेश दिया ।

8. अभियुक्त-अपीलार्थियों ने इससे व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील फाइल की और मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि अपीलार्थी सं. 1 द्वारा धन की कोई मांग नहीं की गई थी क्योंकि वह दूध का कारबार आरंभ करने के लिए भैसें खरीदने हेतु केवल ऋण देने के लिए कह रहा था । यह भी दलील दी गई कि मृतका का चिकित्सीय उपचार चल रहा था क्योंकि वह किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त थी । यह उल्लेख किया गया कि साक्षियों के रूप में केवल नातेदारों की परीक्षा की गई थी । यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे और इसलिए अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है । आगे यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी उस समय मकान में मौजूद नहीं थे जब मृतका ने आत्महत्या की थी और यह अनुरोध किया गया कि यह अपील मंजूर की जाए और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाए ।

9. तथापि, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि 25,000/- रुपए की मांग पूर्ण न होने के कारण अपीलार्थियों द्वारा मृतका के साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता की गई थी और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई ।

10. अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर ये अपीलें फाइल की हैं । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री आकृति चौबे ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यथा अभिलिखित दोषसिद्धि, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, मान्य नहीं है । यह दलील दी गई कि तात्विक साक्षियों के साक्ष्य में बड़े विरोधाभास हैं और अपीलार्थी सं. 1 द्वारा किसी धन की कोई मांग नहीं की गई थी क्योंकि वह दूध का कारबार आरंभ करने के आशय से भैसें खरीदने के लिए केवल ऋण लेने के लिए कह रहा था । उन्होंने यह भी दलील दी कि मृतका किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त थी जिसके लिए उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा था । विद्वान् काउंसेल

की अगली दलील यह है कि साक्षियों के रूप में केवल घनिष्ठ नातेदारों की परीक्षा की गई थी और कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था ।

11. इसके विपरीत, राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री दीपांविता प्रियंका ने यह दलील दी कि दोनों निचले न्यायालयों का एक-जैसा निष्कर्ष है इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । यह भी दलील दी गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक सभी संघटकों को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क की सहायता से साबित किया गया है इसलिए इन अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए ।

12. हमने परस्पर-विरोधी दलीलों पर विचार किया और पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की सहायता से आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ साक्षियों के परिसाक्ष्य का भी परिशीलन किया ।

13. यह निर्विवाद है कि मृतका की आत्महत्या मृत्यु विवाह के आठ माह की छोटी सी अवधि के भीतर हुई थी । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क में किसी विवाहित स्त्री द्वारा विवाह के सात वर्ष के भीतर उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा के लिए उपबंध किया गया है । उक्त धारा निम्नलिखित है :–

> "**113क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा** – जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'क्रूरता' का वही

अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क में है ।"

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के साथ जोड़े गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि 'क्रूरता' का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498क में है और इसलिए उपधारा को उद्धृत करना सुसंगत होगा जो निम्नलिखित है :–

> "**498क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना** – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'क्रूरता' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –
>
> (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है ; या
>
> (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है ।"

15. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि मृतका, जो शिकायतकर्ता की पुत्री थी, का विवाह अपीलार्थी सं. 1 के साथ अभिकथित घटना से लगभग आठ माह पूर्व अनुष्ठापित हुआ था और उसके पश्चात् वह अपने पति, अपीलार्थी सं. 1 और सास, अपीलार्थी सं. 2 के साथ अपने दांपत्य गृह में रह रही थी । लगभग दो माह तक उनका जीवन शांतिपूर्ण रहा, उसके पश्चात् अपीलार्थी सं. 1 भैसें खरीदने के लिए मृतका पर अपने

पिता से 25,000/- रुपए लाने के लिए दबाव डालने लगा चूंकि वह दूध का कारबार आरंभ करने का इच्छुक था । यह भी कथन किया गया कि शिकायतकर्ता, अभि. सा. 1 अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इस मांग को पूरा करने में असमर्थ था । जब शिकायतकर्ता द्वारा 25,000/- रुपए की मांग को पूरा नहीं किया जा सका, तो अपीलार्थी सं. 1 ने मृतका के साथ मारपीट करनी आरंभ कर दी और अपीलार्थी सं. 2, सास भी यह बहाना करके उसके साथ झगड़ती रहती थी कि वह खाना पकाना नहीं जानती है और घरेलू कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती है । विवाह के आठ माह की अल्प अवधि के दौरान उसके साथ की गई शारीरिक और मानसिक क्रूरता के कारण जब यह असहनीय हो गया तो उसने अपने दांपत्य गृह में तारीख 14 दिसंबर, 1997 को 5.00-5.30 बजे अपराह्न में विष खाकर आत्महत्या कर ली ।

16. अभि. सा. 1, मृतका के पिता द्वारा दर्ज की गई पूर्वोक्त शिकायत को भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 1997 के आईसीआर सं. 341 द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

17. अभि. सा. 1, मृतका के पिता, मुस्तफ़ा छोटूभाई घोरी के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि मृतका का अपीलार्थी सं. 1 के साथ विवाह अभिकथित घटना से आठ माह पहले हुआ था । उसने अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया कि दोनों का वैवाहिक जीवन आरंभिक दो माह तक निर्विघ्न रहा, तथापि, विवाह के दो माह पश्चात् अपीलार्थी सं. 1 ने ताहिरा (मृतका) पर दूध का कारबार करने के लिए भैंसें खरीदने हेतु अभि. सा. 1 से 25,000/- रुपए की राशि मांगकर लाने के लिए जोर देना आरंभ कर दिया, किंतु वह उक्त रकम का संदाय करने में असमर्थ था चूंकि वह एक चाय की दुकान चला कर अपनी आजीविका कमा रहा था और ऋणग्रस्त भी था । उसने यह भी कथन किया कि चूंकि वह अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इस मांग को पूरा नहीं कर सका, इसलिए अपीलार्थी सं. 1 द्वारा उसकी मृतका पुत्री के साथ प्राय: दुर्व्यवहार किया जाता था और मारपीट की जाती थी । उसने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी सं. 2, मृतका की सास ने भी इस बहाने

उसके साथ झगड़ा करना आरंभ कर दिया कि मृतका ठीक प्रकार से चपाती नहीं बना सकती है और न ही वह घरेलू कार्य कर सकती है तथा उसके पिता ने उसे कुछ नहीं सिखाया है । उसने यह भी कथन किया कि मृतका अपने मानसिक आघात को अपनी माता (अभि. सा. 4) के साथ सांझा करती रहती थी जो उसे इसके जवाब में सब-कुछ बताती रहती थी । उसने यह भी कथन किया कि दामाद बहुत ही शक्की था और वह ताहिरा (मृतका) को कहीं भी अकेले नहीं जाने देता था तथा उसके साथ मारपीट करता रहता था । उसने यह भी कथन किया कि अंततः अपीलार्थी सं. 2 मृतका के साथ उसके घर आई और उसकी पत्नी (अभि. सा. 4) से 500/- रुपए की मांग की, क्योंकि उसके पति को अजमेर जाना था । उसने यह भी कथन किया कि रात्रि में लगभग 1.30 बजे अभि. सा. 3, उसका भाई आया और मृतका की मृत्यु के बारे में सूचित किया । प्रतिपरीक्षा में उसका परिसाक्ष्य अडिग रहा था । यद्यपि प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी से यह बात निकलवाने की कोशिश की गई कि मृतका विवाह से पूर्व किसी प्रकार की रुग्णता से ग्रस्त थी और उसका उपचार चल रहा था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि मृतका को कुछ पीड़ा थी और उसकी पत्नी उसे उपचार के लिए ले जाती रहती थी और उसे ओषधि दी गई थी । उपरोक्त के अतिरिक्त, इस साक्षी से न तो रुग्णता की प्रकृति के बारे में और न ही उपचार या ओषधि का ब्यौरा निकलवाया जा सका । वास्तव में, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव तक नहीं दिया था कि मृतका किसी प्रकार की मानसिक रुग्णता से ग्रस्त थी या इसके लिए उसका उपचार चल रहा था ।

18. अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 4, दरियाबेन मुस्तफ़ा घोरी, मृतका की माता तथा शिकायतकर्ता के भाई, अभि. सा. 3, अहमदभाई छोटूभाई घोरी और मृतका के भाई अभि. सा. 5, हनीफ़ मुस्तफ़ा घोरी के साक्ष्य द्वारा होती है ।

19. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा पर बहुत जोर दिया गया है, जिसमें उसने यह कथन किया था कि विवाह से पूर्व ही मृतका

का उपचार और ओषधियां चल रही थीं । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मृतका को कुछ मानसिक बीमारी थी और उसका उपचार चल रहा था तथा उसकी मानसिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या की होगी । यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस संबंध में न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था और न ही धारा 313 के अधीन अपने कथन में उनके द्वारा रुग्णता या ओषधि के बारे में कुछ कहा गया था । मृतका विवाह के पश्चात् लगभग आठ माह तक अपीलार्थियों के साथ अपने दांपत्य गृह में रही थी और यदि उसका कोई लंबा उपचार चल रहा था, तो यह संभव नहीं है कि अपीलार्थियों को उक्त तथ्यों की जानकारी न रही होती ।

20. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे यह दलील दी गई कि सभी साक्षी नातेदार और हितबद्ध साक्षी हैं तथा अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को साबित करने के लिए किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो जाता है ।

21. अधिकांशत:, विवाहित स्त्री के साथ क्रूरता मकान की चार दीवारी के भीतर कारित की जाती है जिसके कारण किसी स्वतंत्र साक्षी के उपलब्ध होने की संभावना स्वत: कम हो जाती है और यदि कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध भी है तो क्या ऐसा साक्षी मामले में साक्षी बनने का इच्छुक होगा या होगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि सामान्यत: कोई स्वतंत्र या असंबद्ध व्यक्ति अनेक कारणों से साक्षी बनना नहीं चाहेगा । घरेलू क्रूरता की शिकार के लिए अपने आघात को अपने माता-पिता, भाइयों और बहनों तथा अन्य ऐसे घनिष्ठ नातेदारों के साथ सांझा करना अस्वाभाविक बात नहीं है । घनिष्ठ नातेदारों/हितबद्ध साक्षी के साक्ष्यिक महत्व को इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए कि वे मृतका के नातेदार हैं । विधि में नातेदारों को साक्षी के रूप में पेश किया जाना निरर्हित नहीं किया गया है भले ही वे हितबद्ध साक्षी हों ।

22. तथापि, जब न्यायालय को किसी हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य का

मूल्यांकन करना हो तो उसे उनके साक्ष्य पर विचार करते समय अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए या दूसरे शब्दों में, किसी हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की संवीक्षा अत्यधिक सावधानी और सतर्कता पूर्वक की जानी चाहिए । न्यायालय के लिए यह अपेक्षित है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या ऐसे साक्षी के साक्ष्य में किसी प्रकार की खामियां हैं ; क्या साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है । हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य का विश्लेषण करते समय विचार किए जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या ऐसे साक्ष्य द्वारा प्रकटित अपराध की उत्पत्ति अधिसंभाव्य है या नहीं । यदि न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने पर किसी हितबद्ध साक्षी/नातेदार का साक्ष्य संगत और भरोसेमंद, खामियों या किसी अतिरंजना से मुक्त पाया जाता है जो न्यायालय का विश्वास प्रेरित करे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसे साक्ष्य का अवलंब न लिया जाए ।

23. **मृणांदु और एक अन्य** बनाम **पुलिस निरीक्षक की मार्फत तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इस विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

> "केवल इस कारण कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परिवार के सदस्य हैं उनके साक्ष्य को स्वत: त्यक्त नहीं किया जा सकता है । जब हितबद्ध होने का अभिकथन किया गया हो, उसे सिद्ध किया जाना चाहिए । मात्र यह कथन कि मृतक के नातेदार होने के कारण उनके द्वारा अभियुक्तों को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की संभावना है, ऐसे साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है । हम अभियोजन के वृत्तांत को अग्रसर करने के लिए साक्षियों की हितबद्धता के संबंध में दलील पर भी विचार करेंगे ।
>
> ..... नातेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है । प्राय: कोई नातेदार वास्तविक अपराधी

---

[1] (2008) 16 एस. सी. सी. 529.

को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन नहीं करेगा । यदि मिथ्या फंसाने का अभिवाक् किया जाता है तो इसका आधार दिया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में, न्यायालय को ऐसा दृष्टिकोण अपनाते समय सतर्क रहना चाहिए और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है या नहीं ।

11. दलीप सिंह और अन्य **बनाम** पंजाब राज्य [(ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364)] वाले मामले में निम्नलिखित अधिकथित किया गया था –

> '26. किसी साक्षी को प्रसामान्यत: तब तक स्वतंत्र साक्षी समझा जाना चाहिए जब तक वह ऐसे स्रोतों से न आता या आती हो जिनको दूषित किया जाना संभाव्य हो और इसका प्रायिक रूप से यह अर्थ है कि जब तक साक्षी का हेतु न हो, जैसे कि अभियुक्त के विरुद्ध दुश्मनी के कारण उसे मिथ्या रूप से फंसाना, साधारणतया, कोई घनिष्ठ नातेदार वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहेगा । यह सही है कि जब उत्तेजना होती है और दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत कारण हैं, तो उस निर्दोष व्यक्ति को घसीटने की प्रवृत्ति रहती है जिसके विरुद्ध साक्षी का दोषी के साथ-साथ वैमनस्य होता है, किंतु ऐसी किसी आलोचना के लिए अवश्य आधार होना चाहिए और कोई आधार न होते हुए मात्र नातेदारी का तथ्य प्राय: वास्तव में सच्चाई की गारंटी होती है । तथापि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । प्रत्येक मामले पर अवश्य उसके स्वयं के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । हमारी मताभिव्यक्तियां केवल उन बातों का सामना करने के लिए की गई हैं जो प्राय: प्रज्ञा के एक साधारण नियम के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं । ऐसा कोई साधारण नियम नहीं है । प्रत्येक मामला अवश्य उसके स्वयं के तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए और शासित होना चाहिए ।'

उपरोक्त विनिश्चय का गुली चंद और अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य [(1974) 3 एस. सी. सी. 498] वाले मामले के बाद से अनुसरण किया गया है, जिसमें वाडीवेलू थेवर **बनाम** मद्रास राज्य [(ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614] वाले मामले का भी अवलंब लिया गया था ।

13. हम यह भी अवलोकन कर सकते हैं कि यह आधार कि साक्षी एक घनिष्ठ नातेदार है और परिणामत: एक पक्षपाती साक्षी है और उसके साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए, इसमें कोई सार नहीं है । इस सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा बहुत पहले **दलीप सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में अस्वीकार कर दिया गया था जिसमें उस विचार पर हैरानी व्यक्त की गई थी जो अधिवक्तताओं के मस्तिष्क में हावी था कि नातेदार स्वतंत्र साक्षी नहीं थे । न्यायमूर्ति विवियन बोस की ओर से निर्णय सुनाते हुए यह मत व्यक्त किया गया था –

> '25. हम उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की जानी अपेक्षित थी । यदि ऐसे अवलोकन का आधार इस तथ्य पर आधारित है कि साक्षी महिलाएं हैं और सात पुरुषों का भाग्य उनके परिसाक्ष्य पर टिका है, हमें ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है । यदि इसका आधार यह कारण है कि वे मृतक की घनिष्ठ नातेदार हैं, तो हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं । बहुत से दांडिक मामलों में यह एक सामान्य भ्रांति है और एक ऐसी भ्रांति को इस न्यायालय की एक अन्य न्यायपीठ ने रामेश्वर **बनाम** राजस्थान राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54 पृ. 59) वाले मामले में दूर किया गया था । तथापि, हम यह पाते हैं कि यह भ्रांति दुर्भाग्यवश अभी भी न्यायालयों के निर्णयों में न सही, किसी स्थिति में काउंसेल के तर्कों में जारी है ।'

14. पुन: मसाल्ती और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (ए.

आई. आर. 1965 एस. सी. 202) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था –

> '14. ..... किंतु हमारा यह विचार है कि यह अभिवाक् करना अयुक्तियुक्त होगा कि साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर त्यक्त कर दिया जाना चाहिए कि यह पक्षपाती या हितबद्ध साक्षियों का साक्ष्य है । ..... ऐसे साक्ष्य को यांत्रिक रूप से मात्र इस आधार पर नामंजूर करना कि यह पक्षपाती है, इससे निरपवाद रूप से न्याय की हानि होगी । ऐसा कोई कठोर नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता कि कितने साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । ऐसे साक्ष्य पर विचार करते समय न्यायिक दृष्टिकोण को सतर्क रहकर अपनाया जाना चाहिए किंतु इस अभिवाक् को कि ऐसे साक्ष्य को नामंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपाती है, सही न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।'

15. इसी आशय के विनिश्चय पंजाब राज्य **बनाम** जागीर सिंह (ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2407), लहणा **बनाम** हरियाणा राज्य [(2002) 3 एस. सी. सी. 76] और गंगाधर बेहरा और अन्य **बनाम** उड़ीसा राज्य [(2002) 8 एस. सी. सी. 381] वाले मामलों में के हैं ।"

24. प्रस्तुत मामले में, अभि. सा. 1, 2, 3 और 4 यद्यपि वे मृतका के नातेदार हैं, तो भी स्वाभाविक साक्षी हैं । परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की साक्षियों के रूप में परीक्षा करने में कोई वर्जन न होने के कारण उनके साक्ष्य इस आधार पर त्यक्त किए जाने योग्य नहीं हैं । पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने से हमारा यह निष्कर्ष है कि यह साक्ष्य किसी तात्विक विरोधाभास से रहित और विश्वासोत्पादक है । निचले न्यायालयों ने भी उनके साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व उचित रूप से संवीक्षा की थी और उनके परिसाक्ष्यों पर विश्वास करने में कुछ भी अप्रायिक बात नहीं है ।

25. इस प्रकार, अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि मृतका को 25,000/- रुपए की विधिविरुद्ध मांग पूरा करने के लिए उसे प्रपीड़ित करने की दृष्टि से तंग किया गया था और उसे उसके द्वारा अपने पिता (अभि. सा. 1) से उक्त रकम लाने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया गया था, जो ऐसी मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से असमर्थ था । हमारा पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण (ख) के अधीन क्रूरता के आरोप को साबित करने में सफल रहा है ।

26. कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या मृत्यु की अभिपुष्टि अभि. सा. 2, डा. आनंद के साक्ष्य द्वारा होती है, जो डाक्टरों के पैनल सदस्यों में से एक था जिसने मृतका की मरणोत्तर परीक्षा की थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि :–

> "तारीख 15 दिसंबर, 1997 को मैं गांधी में पीएमसी चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवारत था । दोपहर बाद 3.15 बजे ताहिरा गुमनसिंह चौहान का शव लाया गया था और समय लगभग 3.30 बजे का था । डाक्टरों के पैनल में डा. रोलीशरण थे और वह फिलहाल राजकोट आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में हैं । शव की जांच-पड़ताल करते समय, जहां तक आंतरिक क्षतियों का संबंध है, टांगों पर धारियां थी । दाईं जांघ पर सामान्य क्षति थी । कोई अन्य ऐसी बाह्य क्षति नहीं थी जिससे यह साबित हो सके कि मृत्यु मारपीट करने के कारण हुई थी । इसके पश्चात्, उदर को खोला गया था और जो पदार्थ बाहर आया उसमें अवपाती गंध थी । उसकी आंत, यकृत, गुर्दा और रक्त के नमूने लिए गए थे और विश्लेषण के लिए न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, अहमदाबाद भेजे गए थे जिससे वास्तविक तथ्यों का पता चल सके । यह विश्लेषण रिपोर्ट हमें न्यायालयिक विभाग द्वारा भेजी गई थी । एक प्रति पुलिस थाने भेजी गई थी । किंतु मुझे एक प्रति प्राप्त नहीं हुई थी । इसलिए यदि पुलिस की प्रति मुझे दिखाई जाती है

तो मैं आगे अभिसाक्ष्य दे सकता हूं । मुझे आज 8/9 के रूप में चिह्नित अभियोजन के कागजात दिखाए गए और उन्हें देखने के उपरांत मैं यह कहता हूं कि मृतका की आंत में विषैला नाशकजीवमार डायाजिनोन आर्गेनोफासफेट पाया गया था । इससे यह साबित होता है कि ताहिराबेन की मृत्यु विष खाने के कारण हुई थी । मेरे सहित पैनल के डाक्टर ने मृतका की मरणोत्तर परीक्षा की थी । मुझे 8/7 के रूप में चिह्नित रिपोर्ट दिखाई गई और हम दोनों डाक्टरों ने इसे तैयार किया था । मेरे सहित डाक्टर ने उस पर मेरी मौजूदगी में हस्ताक्षर किए थे । इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मैं इन्हें पहचानता हूं । यह प्रदर्श-17 में दिया गया है ।"

उसका कथन प्रतिपरीक्षा में अविचल रहा और उससे कुछ भी विरोधाभासी नहीं निकलवाया जा सका ।

27. अब जो प्रश्न हमारे विचार के लिए पैदा होता है वह यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण (ख) में यथा अधिकथित क्रूरता के आरोप को सफलतापूर्वक सिद्ध करने और मृतका ने विवाह के सात वर्ष के भीतर कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या की थी, यह भी तथ्य होने के कारण क्या अभियुक्तों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं ।

28. प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है कि अभियुक्तों ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध दुष्प्रेरण के आरोप को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क का अवलंब लिया है ।

29. भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण के अपराध को निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है :–

"**भारतीय दंड संहिता की धारा 107 –**

107. किसी बात का दुष्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के

किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो –

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है ; अथवा

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा

तीसरा – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1 – जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।"

30. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का उपबंध किया गया है, जो निम्नलिखित है :–

"**306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण** – यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

31. यह प्रश्न **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष विचार के लिए आया था । उक्त निर्णय के पैरा 12 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

"यह उपबंध सबूत की उस कठिनाई को दूर करने की सामाजिक मांग को पूरा करने के लिए दंड विधि (दूसरा) संशोधन

---

[1] (2001) 9 एस. सी. सी. 618.

अधिनियम, 1983 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था जहां निस्सहाय विवाहित स्त्रियां पति या ससुराल वालों द्वारा आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी जाती हैं और अपराध से संबंधित साक्ष्य प्राय: ससुराल की चार दीवारी के भीतर ही उपलब्ध होता है जिसे मकान के भीतर रहने वाले लोगों के सिवाय और कोई नहीं जान पाता है । तथापि, इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि दांडिक विधि के क्षेत्र में अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा करना आशयित है । इससे पहले कि कोई उपधारणा की जाए, इसका आधार मजबूत होना आवश्यक है । धारा 113क को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि धारा 113क लागू करने के लिए यह दर्शित करना होगा कि (i) स्त्री ने आत्महत्या की है, (ii) ऐसी आत्महत्या उसके विवाह की तारीख के सात वर्षों की अवधि के भीतर की गई थी, (iii) पति या उसके नातेदारों ने जिन्हें आरोपित किया गया है, उसके साथ क्रूरता की थी । ऊपर बताई गई परिस्थितियों की विद्यमानता और उपलब्धता के आधार पर न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति द्वारा या उसके पति के नातेदारों द्वारा दुष्प्रेरित किए जाने के कारण की गई थी । इस संबंध में संसद् ने सावधानी बरतने पर बल दिया है । प्रथमत:, यह उपधारणा आज्ञापक नहीं है, यह केवल अनुज्ञेय है जैसा कि "उपधारणा कर सकेगा" पद दिए जाने से स्पष्ट है । द्वितीयत:, ऊपर उपदर्शित तीनों परिस्थितियों की विद्यमानता और उपलब्धता एक सूत्र के सदृश नहीं है जो उपधारणा करने के लिए समर्थ बनाता हो ; कोई उपधारणा किए जाने से पूर्व न्यायालय को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार करने से उपधारणा को बल मिल सकता है अथवा न्यायालय को ऐसी उपधारणा करने से प्रविरत रहने के लिए प्रेरित कर सकता है । धारा 113क में प्रयुक्त 'उपधारणा कर सकेगा' वाक्यांश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में परिभाषित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, और यदि जब तक वह

नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा ।"

32. उपरोक्त मताभिव्यक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क की प्रयोज्यता को लागू करने के लिए तीन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है :–

(i) स्त्री ने आत्महत्या की है,

(ii) ऐसी आत्महत्या उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर की गई थी,

(iii) आरोपित अभियुक्त ने उसके साथ क्रूरता की थी ।

33. प्रस्तुत मामले के तथ्यों से सभी तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं । इन तथ्यों के बारे में कोई विवाद नहीं है कि मृतका ने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और आरोपित अभियुक्तों ने उसके साथ क्रूरता की थी, चूंकि हमने विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के इन निष्कर्षों की पुष्टि की है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के स्पष्टीकरण (ख) के अधीन क्रूरता के आरोप को साबित करने में सफल रहा है ।

34. जैसा कि **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, निस्संदेह यह सही है कि उपर्युक्त तीन परिस्थितियों की विद्यमानता और उपलब्धता का अवलंब उपधारणा करने के लिए एक सूत्र (फार्मूले) की तरह नहीं लिया जाना चाहिए और यह उपधारणा एक विखंडनीय उपधारणा नहीं है ।

35. इस प्रक्रम पर, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के प्रति भी निर्देश कर सकते हैं, जिसमें धारा 113क में प्रयुक्त 'उपधारण करेगा' वाक्यांश को परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है :–

"**उपधारणा कर सकेगा** – जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत

की मांग कर सकेगा ।"

36. 'उपधारण करेगा' शब्दों की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जहां कहीं अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, उक्त तथ्य को साबित हुआ माना जाना चाहिए, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है ।

37. स्वीकृतत:, प्रस्तुत मामले में, साक्ष्य से मृतका के साथ की गई क्रूरता या उसे तंग करने का अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है और इस प्रकार उपधारणा करने के लिए आधार विद्यमान है । स्वीकृतत:, अपीलार्थियों ने इस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

38. इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निचले न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करके कोई अवैधता कारित नहीं की थी कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था । मामले पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 498क के अधीन क्रूरता के आरोप को सिद्ध करने में सफल रहा था, जिससे यह एक युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतका ने कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या कर ली थी । मृतका अपीलार्थियों की अभिरक्षा में थी और उसकी मृत्यु दांपत्य गृह की चार दीवारी के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी ।

39. **रमेश विट्ठल पाटिल** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने लगभग समरूप तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णय के पैरा 26 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

"इसके अतिरिक्त, स्वीकृत रूप से मृतका ने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी । अत:

---

[1] (2014) 11 एस. सी. सी. 516.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू होती है । इस धारा में अनुध्यात उपधारणा अवश्य लागू होनी चाहिए । यह उपबंध दांडिक विधि द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1983 द्वारा वहां सबूत की कठिनाई का निराकरण करने के लिए पुर:स्थापित किया गया था जहां विवाहित स्त्रियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है किंतु अपराध में आलिप्त करने वाला साक्ष्य मिलना कठिन होता है चूंकि यह प्रायिक तौर पर दांपत्य गृह की चार दीवारी के भीतर उपलब्ध होता है ।

इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने मृतका के साथ की गई क्रूरता और उसे तंग करने की बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही विचार किया गया है । इस प्रकार, उपधारणा करने के लिए आधार विद्यमान है । तथापि, अपीलार्थी ने इस उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए इस मामले के तथ्यों में सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

40. **सतीश शेट्टी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के प्रति भी निर्देश किया जाना चाहिए :–

"अभियोजन पक्ष जब एक बार धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि के लिए क्रूरता के घटक को सिद्ध करने में सफल हो जाता है, तो हमारी राय में, यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क की अन्य अपेक्षाओं का समाधान हो जाता है तो न्यायालय केवल विरले मामले में ही दुष्प्रेरण की उपधारणा का अवलंब लेने से इनकार कर सकता है । के. प्रेमा एस. राव और एक अन्य **बनाम** यादला श्रीनिवास राव और अन्य [(2003) 1 एस. सी. सी. 217] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ

---

[1] (2016) 12 एस. सी. सी. 759.

द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से इस प्रतिपादना का प्रचुर मात्रा में समर्थन होता है ।"

41. **के. प्रेमा एस. राव** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 215 को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने में लोप के परिणामस्वरूप न्याय की कोई हानि नहीं हुई है और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए विचारण न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित करने और इस आरोप के लिए पुनर्विचारण करने का निदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मत भी व्यक्त किया गया था :–

> "अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने के पाए गए उन्हीं तथ्यों से पत्नी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने हेतु उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन मामला बनता है । अपीलार्थी को धारा 304ख के अधीन 'दहेज मृत्यु' कारित करने के लिए एक उच्च मात्रा के अपराध के लिए आरोपित किया गया है जो न्यूनतम सात वर्ष के कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडनीय है । भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन क्रूरता के अपराध का गठन करने वाले उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन उपधारणा भी की जा सकती है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

42. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा **गुरजीत सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में एक दो न्यायधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का लिया गया अवलंब पूर्णत: निराधार है, चूंकि यह मामला तथ्यों के आधार पर प्रभेदनीय है । उक्त मामले में, इस न्यायालय ने यह पाया था कि यद्यपि अभियोजन पक्ष

---

[1] (2020) 14 एस. सी. सी. 264.

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन मामले को साबित करने में सफल रहा था किंतु अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा था कि क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिसके कारण मृतका के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था । यह पाया गया था कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था कि अभियुक्त के किसी कार्य या लोप ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था । यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि मृतका द्वारा आत्महत्या करने से ठीक पूर्व अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता की गई थी जिसके कारण मृतका के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था । निर्णय में की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों को उद्धृत करना सुसंगत होगा :–

> "37. एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि वे मामले जिनमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्धि मान्य है यद्यपि आरोप केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन था, उनमें आरोप में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख पाया गया था कि मृतका को उसके साथ की गई क्रूरता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी । तथापि, प्रस्तुत मामले में आरोप इस प्रकार है –
>
> > 'यह कि आप सभी ने तारीख 28 सितम्बर, 1994 को गांव बोहन के क्षेत्र में आप गुरजीत सिंह की पत्नी और आप गुरदयाल सिंह और मोहिंद्र कौर की पुत्रवधु जसविंदर कौर की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित की थी, आप सभी ने उसके नातेदार होने के कारण, उसके साथ दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की थी और उसे तंग किया था और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय दहेज मृत्यु का अपराध कारित किया था और जो मेरे संज्ञान में है ।'
>
> इस प्रकार, यह दिखाई देता है कि आरोप में यह उल्लेख नहीं

है कि मृतका को आत्महत्या उसे तंग करने के कारण करनी पड़ी थी । यह भी उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तों ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि वे मामले जिनमें संपरिवर्तन को अनुज्ञेय ठहराया गया है वे स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय हैं ।"

43. इसके विपरीत, प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 29 मई, 2000 के आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किया गया था :–

"आरोप

मैं, ए. सी. मोदी, वडोदरा जिला अपर सेशन न्यायाधीश तद्द्वारा आप दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित करता हूं कि,

अभियुक्त सं. 1 का विवाह ताहिराबेन के साथ हुआ था और इसलिए ताहिराबेन और दोनों अभियुक्त एकसाथ रहते थे । अभियुक्त सं. 1 दूध का कारबार करता था, अभियुक्त सं. 1 नियमित रूप से ताहिराबेन को अपने पिता से 25,000/- रूपए की रकम दूध का क्रय करने हेतु लाने के लिए कहता था । किंतु चूंकि ताहिराबेन को अपने पिता की वित्तीय स्थिति का पता था, इसलिए वह मांग को पूरा नहीं कर सकी । इस कारण, अभियुक्त सं. 1 बारंबार ताहिराबेन के साथ मारपीट करता रहता था । इसी बीच, अभियुक्त सं. 2 ताहिराबेन की सास होने के कारण वह यह ताना देती रहती थी कि ताहिराबेन घरेलू कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती है, खाना ठीक प्रकार से नहीं बनाती है और तद्द्वारा अभियुक्त सं. 2 द्वारा ऐसी रीति में गलत रूप से अभियुक्त सं. 1 को उकसाया जाता था और इसलिए ताहिराबेन के साथ मारपीट की जाती थी । इस रीति में, आप दोनों अभियुक्तों ने विवाह की आठ माह की अल्पावधि के भीतर ताहिराबेन को मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया, उसके जीवन को बदतर बना दिया, ऐसी स्थिति पैदा की

जिसमें उसने मर जाना चाहा और आपके ऐसे व्यवहार के कारण कोई अन्य विकल्प न बचने पर उसने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तारीख 14 दिसम्बर, 1997 को 5.00 से 5.30 बजे ताहिराबेन ने मेदाध गांव में कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या कर ली और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई ।

इस रीति में, आप दोनों अभियुक्तों ने ताहिराबेन को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया और तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498क और 114 के अधीन अपराध कारित किया ।

मैं एतद्द्वारा आपके विरुद्ध इन अपराधों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां करने की घोषणा करता हूं ।"

44. इस प्रकार, यह दिखाई देता है कि एक ओर अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध न केवल एक विनिर्दिष्ट आरोप विरचित किया गया था, अपितु प्रतिरक्षा पक्ष धारा 113क के अधीन उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था और दूसरी ओर अभियोजन पक्ष इस साक्ष्य को सिद्ध करने में सफल रहा था कि मृतका के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था । अभि. सा. 3, मृतका के चाचा के मौखिक परिसाक्ष्य के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है, उसकी मुख्य परीक्षा का सुसंगत भाग यहां नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"विवाह के पश्चात् ताहिरा अपने दांपत्य गृह में रहने के लिए चली गई । ताहिरा के दांपत्य गृह में उसका पति गुमनसिंह, ससुर, सास और ननद रहती थी जिसका नाम मधु था । ताहिरा का वैवाहिक जीवन विवाह के दो या अढ़ाई माह की अवधि के लिए उचित रूप से चला । गुमनसिंह शक्की प्रकृति का है । वह ताहिरा को कहीं भी अकेले नहीं जाने देता था । वह अपनी शक्की प्रकृति के कारण ताहिरा के साथ जाता था । वह उसे किसी से बात नहीं करने देता था और उसकी बातों के बारे में जांच-पड़ताल करता था । वह ताहिरा को अपने पिता से 25,000/- रुपए लाने के लिए

कहता था क्योंकि वह भैंसें खरीदने और दूध का कारबार करने का इच्छुक था । ताहिरा कहती थी कि उसके पिता की एक चाय की दुकान है और उस पर ऋण चढ़ा है, वह कैसे धन दे सकता है । इस प्रकार, चूंकि रकम नहीं दी गई थी इसलिए गुमनसिंह ताहिरा के साथ मारपीट करता रहता था, उसके साथ झगड़ा करता था और तद्द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तंग करता था । ताहिरा की सास कहती थी कि ताहिरा ठीक से खाना नहीं बनाती है, वह ठीक प्रकार से काम नहीं करती है । ताहिरा की सास ताहिरा के पति को उकसाती थी और इस प्रकार वह उनके बीच झगड़ा पैदा करती थी । मैं अपने कारबार के प्रयोजन के लिए नियमित रूप से अपने भाई मुस्तफ़ा के मकान पर जाता रहता था । उस स्थान पर ताहिरा ने बारंबार ये बातें बताई थीं, ये बातें मुझे मेरे भाई और भाभी द्वारा भी बताई गई थीं । ताहिरा 5-7 बार मुझसे मिलने आई थी और उसने भी मुझे ये बातें बताई थीं । ....."

"सोमवार को मुस्तफ़ा ने मेरे से बात की कि मेदाध से ताहिरा और उसकी सास उसके मकान पर आई हैं । ताहिरा की सास ने कहा कि उन्हें इस्माइल से भैंसें खरीदवाई जाएं । या फिर 5,000/- रुपए की रकम दी जाए किंतु ताहिरा की माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया । उन्होंने यह भी कथन किया कि ताहिरा के ससुर को अजमेर जाना है और इसलिए 500/- रुपए की रकम दी जाए । 500/- रुपए की यह रकम ताहिरा की सास दरियाबेन को दी गई थी । उसने फोन पर यह भी बताया था कि अब तंग किया जाना बढ़ता जा रहा है । इस कारण ताहिरा ने कहा था कि चाचा को सूचित किया जाए कि वह और सहन नहीं कर सकती है, उसे तंग किया जा रहा है और इसलिए उसे ले जाया जाए ।

अगले दिन, मेरी माता सकीना, मेरी पत्नी रशीदा और मैं अर्थात् हम तीनों व्यक्ति तिपहिया टैंपों में मेदाध गए । हम उस स्थान पर ताहिरा की सास से मिले । ताहिरा की सास ने मुझे बताया कि उसके बड़े भाई के पुत्र की शल्यक्रिया की जानी है और

उसे अस्पताल जाना चाहिए । हमने उससे कहा कि ताहिरा को हमारे साथ भेज दो और उसने उत्तर दिया कि ताहिरा के ससुर को अजमेर जाना है जिस कारण उसे वापस भेज दिया जाए । उसके पश्चात् मैं ताहिरा को भोज में अपने मकान पर ले आया । ताहिरा मेरे मकान पर 2-3 दिन तक रही और ताहिरा ने मुझे बताया था कि अभी भी उसे तंग किया जाता है । अभी भी गुमनसिंह रकम मांग रहा है और वह उसके साथ मारपीट करता है । इसके अतिरिक्त, उसकी सास भी यह कहती है कि ताहिरा ठीक से खाना नहीं बनाती है और वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है । इस प्रकार, उसकी सास किसी-न-किसी प्रकार से उसके साथ झगड़ा करना आरंभ करना कर देती है और इसको लेकर गुमनसिंह उसके साथ मारपीट करता है । ताहिरा ने मुझे बताया था कि वह यह सहन नहीं करेगी, यदि ऐसा चलता रहा तो वह वापस नहीं जाएगी । ताहिरा के ससुर को अजमेर जाना था और इसलिए हमने ताहिरा से कहा कि ये दुखभरे दिन बीत जाएंगे और तद्द्वारा उसे उसके दांपत्य गृह में भेज दिया । मैंने उससे कहा कि यदि आगे तंग किया जाएगा तो मैं उसे नहीं भेजूंगा । मैंने उसे यह बात स्पष्ट की और उसे उसके दांपत्य गृह में भेज दिया ।

उसे मेरे पुत्र और अन्य दो व्यक्तियों द्वारा टैंपो से मेदाध में उसके दांपत्य गृह में छोड़ दिया गया । उसके पश्चात् उसी रात्रि में 11.00-11.30 बजे फातिमाबेन जो ताहिरा की सास है और विक्रम जो फातिमाबेन का दामाद है, एक अन्य व्यक्ति के साथ मेरे मकान पर आए । उन्होंने मुझे बताया कि ताहिरा ने विष खा लिया है और इसलिए उसका देहांत हो गया है । मैंने इन लोगों से कहा कि यह बात उसके पिता मुस्तफ़ा को सूचित की जाए, उसके पश्चात् मैंने एक यान की तलाश की और यह बात अपने भाई मुस्तफ़ा को बताने के लिए फर्टिलाइजरनगर गया । मैंने यह बात अपने अन्य भाई उस्मान को भी सूचित की जो टांडलजा में रहता है और अन्य व्यक्तियों को भी इस बारे में सूचित किया । मैंने अपने भाई को यह बात सभी को सूचित करने के लिए कहा और

अपने भाई मुस्तफ़ा के मकान पर गया । मैंने उसे सूचित किया कि ताहिरा का अपने दांपत्य गृह में देहांत हो गया है क्योंकि उसने विष खा लिया था । .....।"

45. इस साक्षी का परिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा के दौरान अविचल रहा था और उससे कोई भी प्रतिकूल बात नहीं निकलवाई जा सकी थी, इसलिए हम विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय द्वारा धारा 113-क के अधीन उपधारणा करने के लिए इस साक्ष्य का अवलंब लेने में कोई गलती नहीं पाते हैं, विशिष्ट रूप से जब प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इन तथ्यों को नासाबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है ।

46. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर सूक्ष्मता से विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तर्कपूर्ण कारण अभिलिखित किए थे कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में सफल रहा है ।

47. सुसंगत तथ्यों और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् हम एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं । अत: हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं । इसलिए ये अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.